

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, करेडा

रतनी कोर्ट नं० बनाम पत्रावली नं०

ना. पत्रावली नं० ०७१८-०७ नं० ११५ सन २०२० ७ जून

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

23/11/2020 प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावे। पत्रावली दिनांक 24/11/2020 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा

24/11/20 समन पत्र उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय दुकान कार से बाहर है। भयकश कर है/पसबित है वत पत्रावली दिनांक 23/11/20 को पेश हो।

सेडर

उपखण्ड अधिकारी करेडा

29/12/2020 पत्रावली पेश हुई प्रार्थनापत्र व उनके आचिवम्मा - उपस्थित विपक्षीगण को जाडिऐ रजि० एडी सुनिर किया गया जिसडी रशीड शाब्दक है शजि० एडी नोपित की पत्रावली रशीड अपाए। विपक्षीगण को जाडिऐ रजि० एडी को एक माह से आचिक का समय व्यरिह होने पर भी न्यायालय में अपाएर वही हुऐ विपक्षीगण को कई मल्ला रुक-रुक करू आपजे लगडि न तो विपक्षीगण स्वयं व नही उनके आचिवम्मा अपाएर। अतः आपजे के प्रार्थना पत्र पर एक तरफ बहस सुनी गई। बहस सुनकर प्रार्थना पत्र में वणिर काडण के मचामजर प्रार्थनापत्र का पत्र स्वीकार किया जाकर एकडण पत्र नम्बर लिम्मे जाने का आडेश दिया जात है। पत्रावली मूल फाइल के साथ दिनांक 25/12/20 21 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा

